समाहरणालय, दरभंगा।

(भू–अर्जन प्रशाखा)

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत परियोजना– रघवा–सिमरी के बीच मौजा– चाफन, अंचल– सिंहवाड़ा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का धारा–6(1) के तहत प्रकाशन।

परियोजना – दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के रघवा–सिमरी के बीच मौजा– चाफन, अंचल–सिंहवाड़ा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ भू–अर्जन करने का प्रस्ताव इसके अधियाची विभाग, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त हुआ। इस प्रस्तावित भूमि का अर्जन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT-2013) के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

उक्त अधिनियम के धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन बिहार सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान आद्री, पटना के माध्यम से कराया गया, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है।

उक्त अधिनियम के धारा–6(1) के तहत उक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के निष्कर्ष को सारांश रूप में अर्जनाधीन क्षेत्र में तथा अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया जाना है। तदालोक में उक्त अंतिम प्रतिवेदन का निम्नांकित सारांश प्रकाशित किया जाता है।

सारांश :–

प्रस्तावित परियोजना सिंहवाड़ा प्रखंड में स्थित है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मकसद से एक ही गाँव चाफन शामिल है। इस परियोजना में प्रभावित लगभग सभी परिवार किसी ने किसी रूप से कृषि से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण सिर्फ खेती की जमीन का होना है। प्रभावित परिवारों की सामाजिक संरचना दर्शाती है कि प्रभावित परिवारों में सर्वाधिक अति पिछड़ा वर्ग जैसे अन्य सामाजिक तवकों का प्रतिशत नगण्य है। वहीं 05 सामान्य श्रेणी के हैं। अधिकांश प्रभावित परिवारों में परियोजना के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई विरोध या आक्रात्मकता नहीं है। इस परियोजना से उन्हें आवागमन और पहुँच सुधारने में मद्द मिलेगी। उनके लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उनके खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता में सुधार होगा। प्रभावित परिवारों अपनी जमीन परियोजना के लिए देना चाहते हैं। बशर्ते कि उनके मुआवजे का त्वरित और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हो आवागमन और सार्वजनिक परिवहन का आना–जाना सुधारने में लोगों को मद्द मिलेगी तथा उनके जीवन स्तर पर इसका साकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेहतर सड़क सम्पर्क के कारण गाँव के बेरोजगार युवक छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते है या संस्थागत ऋण लेकर ऑटोरिक्शा, पिकअप वैन या ट्रॉली वाले ट्रैक्टर खरीद सकते है। छोटे स्टॉल, वाहन मरम्मत गैराज, सब्जियों के ठेले आदि लगाने के लिए भी सोंच सकते है। परियोजना पूरी होने पर किसान सीधा खुदरा बाजार में अनाज एवं सब्जियां बेचने की संभावनाएं तलाश सकते है। प्रभावित लोगों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से संबंधित मुद्दों की समझ होना उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार करने के लिहाज से जरूरी है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्त्ति " Right to Fair Compersation and Transparency in Level Acquisition, Rehabilitation and Resettelement Act, 2013" (**"पुनर्वासन औगर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013**) के अनुसार होना चाहिए।

उक्त प्रस्तावित पुल एवं पहुँच पथ मौजा–रघवा सिमरी, थाना नं0–107 से रकवा–0.18 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

निष्कर्ष :–

1. प्रस्तावित परियोजना उस क्षेत्र के लोगों की अनुभूत आवश्यकता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा इसकी लम्बे समय से माँग की जा रही थी। इससे आम जनता की चाहत पूरी हुई है।
2. प्रभावित परिवारों में कथिक परियोजना के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई विरोध या प्रतिरोध की भावना नहीं है। परियोजना से प्रभावित गाँव में अधिकांश प्रभावित परिवारों की उससे सहमति है और वे परियोजना के लिए जमीन देने के लिए इच्छुक है। बशर्ते कि मुआवजा का कम समय में भुगतान हो।
3. इस परियोजना से उन्हें अपनी समग्र पहुँच सुधारने में मदद मिलेगी। जीविका के अवसर बढ़ेंगे और लोगों खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षा की उपलब्धता में सुधार होगा।
4. अपनी जमीन देने की सहमति देने वाले अधिकांश प्रभावित व्यक्ति गाँव में शिविर लगाकर प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था होने की आशा करते है।
5. पुल एवं सड़क का निर्माण पुरा होने पर क्षेत्र में खुलापन आयेगा, रोजगार की अवसरों में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों तथा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजार प्रतिष्ठानों आदि तक आवागमन और पहुँच में सुधार होगा।
6. परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों पर प्रकाश डालने पर आंकड़ों/सूचनाओं के परिमाणात्मक और गुणात्मक विशलेषण के जरिये सामने आया कि प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अनुशंसा :–

दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के रघवा–सिमरी के बीच मौजा– चाफन, अंचल–सिंहवाड़ा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर सम्यक रूप से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) करने के पश्चात यह पाया गया कि इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benefits) ज्यादा है।

अतएव प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर का भुगतान करते हुए प्रस्तावित भू–अर्जन किया जा सकता है।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

***ज्ञापांक** ......579....../**भू–अ0, दिनांक** ......6/8/19......*

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, सिंहवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लि0, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।